

# न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिषा, आर.ए.एस.

राजस्व वार्द संख्या :- 71 / 2022

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

<p>1. सांवलसिंह पुत्र लालसिंह जाति पुरोहित निवासी सोढो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।</p>	<p>1. ओमसिंह पुत्र मांगीलाल 2. कमलेशकुमार पुत्र मांगीलाल 3. मुकेशकुमार पुत्र मांगीलाल 4. मूलीदेवी पत्नि मांगीलाल 5. दुर्गा पुत्र सोना 6. पीरा पुत्र सोना 7. हीरा पुत्र सोना 8. वरजू पत्नि सोना 9. कोकूकंवर पत्नि किस्तुरसिंह 10. बस्तीसिंह पुत्र किस्तुरसिंह 11. बिहारीसिंह पुत्र किस्तुरसिंह 12. जगमाल पुत्र पूनमा 13. हंजा पुत्र पूनमा 14. रूधनाथसिंह पुत्र लालसिंह 15. मानसिंह पुत्र अमरसिंह 16. लुणसिंह पुत्र अमरसिंह जातियान पुरोहित निवासी सोढो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 17. शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक सिणधरी हाल राजस्थान मज्जधरा ग्रामीण बैंक सिणधरी जिला बालोतरा। 18. तहसीलदार सिणधरी।</p>
---	---

राजस्व वार्द अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।

2. प्रातिवादी सं. 18 पैरोकार उपस्थित, शेष एकतरफा।

### निर्णय

दिनांक- 12.08.2025

संज्ञित में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि मौजा- सोढो की ढाणी पटवार हल्का सणपा तहसील सिणधरी के खेत खसरा नं. क्रमशः 327, 347, 355, 370, 392, 425 रकबा क्रमशः 3.6405, 4.0046, 5.6873, 6.7632, 4.7003, 4.4900 हैक्टियर के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 03.09.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर वादी का कब्जा काश्त अनुसार गार्ड मिटस एण्ड वाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिफ्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा- सोढो की ढाणी पटवार हल्का सणपा तहसील सिणधरी के खेत खसरा नं. क्रमशः 327, 347, 355, 370, 392, 425 रकबा क्रमशः 3.6405, 4.0046, 5.6873, 6.7632, 4.7003, 4.4900 हैक्टियर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

कं. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टियर	किस्म	लगान	वरंग	
1.	सांवलसिंह पुत्र लालसिंह जाति पुरोहित सा. सोढो की ढाणी रहन- पूर्ण खाता RMGB शाखा सिणधरी	सोढो की ढाणी	योग	4	3.6405	बा.दो.	0.33	इसा
				327	1.0840	बा.दो.	0.10	
				327	0.2184	बा.दो.	0.02	
				327	1.7232	बा.दो.	0.15	
				347	3.0338	बा.दो.	0.27	
				355	4.7408	बा.दो.	0.43	
				370	6.7632	बा.दो.	0.61	
				392	3.4059	बा.दो.	0.30	
				425	4.4900	बा.दो.	0.40	
				8	25.4593	बा.दो.	2.28	
				2.	योग			
	1. ओमसिंह पुत्र मांगीलाल हि. 1/28							
	2. कमलेशकुमार पुत्र मांगीलाल हि. 1/28							
	3. कोकूकर पति किस्वुरसिंह हि. 1/21							
	4. जगमाल पुत्र पूनमा हि. 1/7							
	5. दुर्गा पुत्र सोना हि. 1/28							
	6. पीरा पुत्र सोना हि. 1/28							
	7. वरसीसिंह पुत्र किस्वुरसिंह हि. 1/21							
	8. विहासीसिंह पुत्र किस्वुरसिंह हि. 1/21							
	9. मुकेशकुमार पुत्र मांगीलाल हि. 1/28							
	10. मूलीदेवी पति मांगीलाल हि. 1/28							
	11. मानसिंह पुत्र अमरसिंह हि. 1/14							

सहायक जज  
SDO, सिणधरी



12. ऋधनाथसिंह पुत्र लालसिंह हि. 1/7						
13. लूणसिंह पुत्र अमरसिंह 1/14						
14. वरजू पत्नि सोना हि. 1/28						
15. हंजा पुत्र पूनमा हि. 1/7						
16. हीरा पुत्र सोना हि. 1/28						
रहन- उपरोक्त सभी खातेदारान RMGB शाखा सिणधरी।						
3. संपूर्ण खातेदारान पूर्ववत यथावत (रास्ता हेतु प्रस्तावित)	सोढो की ढाणी	327	0.1861	बा.दो.	0.02	केसरिया

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुरत पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा।  
द्विती पर्व मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.)सिणधरी